भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2488

(जिसका उत्तर सोमवार, 01 अगस्त, 2022/10 श्रावण, 1944 (शक) को दिया गया)

मौजूदा कंपनियों को प्रोत्साहन

2488. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मौजूदा कंपनियों को प्रोत्साहित करने का विचार है और यदि हां, तो विगत छह वर्षों के दौरान बंद हुई कंपनियों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार दस साल से अधिक समय से काम कर रही कंपनियों की सुरक्षा के लिए पहल कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत छह वर्षों के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में बंद हुई कंपनियों की राज्य-वार संख्या और ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत छह वर्षों के दौरान सामुदायिक, व्यक्तिगत और सामाजिक सेवा क्षेत्र में बंद हुई कंपनियों के समापन की राज्य-वार संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ङ) विगत छह वर्षों के दौरान कृषि से संबंधित गतिविधियों में बंद हुई कंपनियों की राज्य-वार संख्या और ब्यौरा क्या है: और

(च) क्या सरकार का कोविड-19 के दौरान बंद कंपनियों के पुनरूद्धार के लिए विशेष योजना आरम्भ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वित्तीय संकट का सामना करने वाली कंपनियों की सुरक्षा हेतु सरकार की क्या पहल है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क), (ख) और (च): व्यवसाय की सुगमता प्रदान करने, कानून का पालन करने वाले कारपोरेटों के अनुपालन बोझ को कम करने तथा देश में व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए समय-समय पर उठाए गए कदम **अनुलग्नक-क** के रूप में संलग्न हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम 1956/2013 के तहत 914 कंपनियों को बंद करने के लिए आदेश पारित किया गया है तथा पिछले छः वर्षों में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) के तहत 1620 कंपनियों के परिसमापन हेतु आदेश पारित किया गया है।

(ग) से (ङ): पिछले छः वर्षों में कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत शासकीय समापक-वार तथा क्षेत्र-वार कंपनियों की संख्या, जिनको बंद करने के लिए आदेश पारित किया गया है, **अनुलग्नक-ख** में दी गई है। इसके अतिरिक्त, पिछले छः वर्षों में राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार कंपनियों की संख्या, जिनके परिसमापन हेतु संहिता के तहत आदेश पारित किया गया है, **अनुलग्नक-ग** में दी गई है।

****

अनुलग्नक-क

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा व्यवसाय की सुगमता प्रदान करने, कानून का पालन करने वाले कारपोरेटों के अनुपालन बोझ को कम करने तथा देश में व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु कई कदम उठाए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

(क) **कंपनी अधिनियम के तहत धाराओं को अपराधों की श्रेणी से अलग करना:** कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 46 दंड उपबंधों को कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से अपराधों की श्रेणी से अलग कर दिया गया जिसके माध्यम से अपराधों की सूची से अलग किए गए उपबंधों की कुल संख्या 62 (वर्ष 2018 में अपराधों की सूची से अलग किए गए 16 सहित) हो गई है। इस तरह, उन्हें अपराधों की सूची से अलग करने से व्यवसाय के सामान्य संचालन में गैर-मूलभूत लघु तथा प्रक्रियात्मक भूल-चूक के लिए दांडिक अभियोजनों का भय दूर होगा तथा सूक्ष्म तथा लघु, मध्यम व्यवसाय उद्यमों को कंपनियों के रूप में निकाय कारपोरेटों में परिवर्तित होने में प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

(ख) **अधिनियम की धारा 446ख:- लघु कंपनियों, एकल व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) स्टार्ट-अप्स, उत्पादक कंपनियां इत्यादि के लिए अपेक्षाकृत कम शास्ति**:- कंपनी अधिनियम, 2013 के किन्हीं उपबंधों के गैर-अनुपालन के लिए कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से लघु कंपनियों/एकल व्यक्ति कंपनी/स्टार्ट-अप्स/उत्पादक कंपनियों अथवा इसके किसी चूककर्ता अधिकारी, अथवा ऐसी कंपनी के संदर्भ में कोई अन्य व्यक्ति के लिए अपेक्षाकृत कम शास्ति का प्रावधान किया गया है जिन पर इन-हाउस-एडज्यूडिकेशन मेकानिज्म (आईएएम) के अंतर्गत विचार किया जाना है। इससे व्यवसायों के संचालन की लागत में कमी आएगी।

(ग) **नई कंपनियों के निगमन के लिए आसान प्रक्रिया** : कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने स्पाइस+ तथा एजाइल प्रो-एस नामक एक नया वेब प्ररूप लागू किया है जिसके अंतर्गत तीन केंद्रीय मंत्रालयों अर्थात कारपोरेट कार्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग, दो राज्य सरकारों महाराष्ट्र, कर्नाटक, एवं विभिन्न बैंकों के द्वारा (i) नाम आरक्षण, (ii) निगमन, (ii) पैन, (iv) टैन, (v) डिन, (vi) ईपीएफओ पंजीकरण, (vii) ईएसआईसी पंजीकरण, (viii) जीएसटी नंबर, (ix) बैंक खाता, (x) पेशेवर कर पंजीकरण (मुंबई तथा अब 08.10.2020 से कर्नाटक में लागू तथा 12.03.2021 से पश्चिम बंगाल में लागू), (xi) जून 2021 से दिल्ली दुकान तथा स्थापना पंजीकरण, का प्रावधान किया गया है। इस नए वेब प्ररूप में नई कंपनियों के निर्बाध निगमन हेतु ऑन स्क्रीन फाइलिंग तथा रीयल टाइम डाटा को सुगम बनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, प्रक्रियाओं की संख्याओं तथा देश में व्यवसाय को आरंभ करने में लगने वाली समयावधि कम हुई है।

(घ) **आरक्षित नामों के नवीकरण हेतु आसान प्रक्रिया** : इस मंत्रालय ने कंपनी (निगमन) तृतीय संशोधन नियम, 2020 के माध्यम से दिनांक 24.12.2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 795(अ) के तहत

कतिपय मामलों में www.mca.gov.in पर उपलब्ध एक सरल वेब सेवा के जरिए नाम के आरक्षण की समयावधि में विस्तार का प्रावधान किया है। 20 दिनों से अधिक की अवधि तक कंपनी नामों के नवीकरण हेतु एक ढांचा उपलब्ध कराने हेतु नियम संशोधित किए गए।

(ङ) **केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी)**: कंपनियों तथा सीमित दायित्व भागदारी (एलएलपी) के नाम आरक्षण तथा निगमन के लिए पहले के औसतन कम से कम 15-20 दिन में कार्रवाई के विरूद्ध 1 दिन में कार्रवाई करने हेतु केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) की स्थापना की गई।

(च) 15 लाख रूपये तक की प्राधिकृत पूंजी अथवा बीस सदस्यों तक वाली सभी कंपनियों के लिए निगमन हेतु **शून्य शुल्क**, जहां कोई शेयर पूंजी प्रयोज्य नहीं हो।

(छ) **एकल व्यक्ति कंपनियां:** एकल व्यक्ति कंपनियों (ओपीसी) के निगमन तथा कार्यकलाप से संबंधित उपबंधों में महत्वपूर्ण रूप से संशोधन किया गया है ताकि अपेक्षाकृत अधिक एकल व्यक्ति कंपनियों के निगमन को प्रोत्साहित किया जा सके। अब अनिवासी भारतीयों को भी एकल व्यक्ति कंपनियों को निगमित करने की अनुमति है। पूर्व में सिर्फ भारत में रहने वाले नागरिकों को ही अनुमति थी। ऐसी कंपनियों को अब किसी भी समय निजी या सार्वजनिक कंपनियों में परिवर्तित होने की अनुमति है। एकल व्यक्ति कंपनियों के लिए प्रदत्त पूंजी तथा टर्नऑवर की अधिकतम राशि के संबंध में प्रतिबंध भी हटा दिए गए हैं ताकि एकल व्यक्ति कंपनियों के विकास पर कोई अनुचित प्रतिबंध न रहे।

(ज) **लघु कंपनियां** : "लघु कंपनियां" के संदर्भ में अधिकतम सीमा में संशोधन किया गया है ताकि अपेक्षाकृत कम से कम 2 लाख कंपनियों "लघु कंपनियों" के रूप में वर्गीकृत हो सकें और कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम के तहत उपबंधित हल्के अनुपालन ढांचे का लाभ उठा सके। (प्रदत्त शेयरपूंजी के संदर्भ में सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 02 करोड़ रुपये और टर्नऑवर के संदर्भ में सीमा 02 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दी गई है)।

(झ) **सूचीबद्ध कंपनियों की परिभाषा में संशोधन**: दिनांक 19.02.2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. (अ) 123 के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 के जरिए सूचीबद्ध कंपनियों की परिभाषा से कंपनियों के कतिपय वर्ग को निकाल दिया गया है। इसके पश्चात, प्राइवेट कंपनियां जो स्टाक एक्सचेंजों पर ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने का विकल्प चयन करती हैं, से यह अपेक्षित नहीं है कि वे उन अनुपालनों को पूरा करें जो सूचीबद्ध कंपनियों से अपेक्षित हों तथा तदनुसार, ऐसी कंपनियों के लिए अनुपालन बोझ कम हो गया है।

(ञ) **अपर्याप्त या लाभ रहित कंपनियों के गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक:** मंत्रालय के दिनांक 18.03.2021 की अधिसूचना सं. का.आ. 1256 के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V में संशोधन किया गया तथा वार्षिक पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा प्रदान की गयी जिसे जब कंपनी हानि या अपर्याप्त लाभ की स्थिति में हो तब गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान किया जा सके।

(ट) **उत्पादक कंपनियों हेतु प्रोत्साहन**: कंपनी अधिनियम, 2013 में उत्पादक कंपनियों से संबंधित धारा (धाराओं) 378क से 378यप को अंत:स्थापित किया गया है तथा सहवर्ती नियमों अर्थात् उत्पादक कंपनी नियम, 2021 को 11.02.2021 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. (अ) 112 के तहत अधिसूचित किया गया। यह उत्पादक कंपनियों के निगमन तथा असंगठित प्राथमिक क्षेत्र के औपचारिकरण को प्रोत्साहित करेगा।

(ठ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विलयनों के लिए फास्ट ट्रैक प्रक्रिया की सुविधा प्रदान की गई है ताकि, अन्य स्टार्ट-अप्स एवं लघु कंपनियों सहित स्टार्ट-अप कंपनियों के विलयनों को भी शामिल किया जा सके जिससे कि ऐसी कंपनियों के लिए विलयनों एवं समामेलनों की प्रक्रिया तीव्र गति से पूरी हो जाए।

(ड़) कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से बोर्ड की बैठकों, ईजीएम और एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी गई है।

(ढ़) स्वतंत्र निदेशकों पर अनुपालन का बोझ कम करने के लिए नियम संशोधित किए गए।

(ण) कंपनियों द्वारा एक पूर्ववर्ती विशेष समाधान पारित करने के लिए इसे पर्याप्त बनाने हेतु नियमों में संशोधन किए गए ताकि वर्ष के दौरान प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को किन्हीं प्रतिभूतियों का ऑफर या आमंत्रण दिया जा सके जिससे कि इसे पूंजी की प्राप्ति के लिए कंपनियों हेतु आसान बनाया जा सके।

(त) डी-मैट फॉर्म में धारित अल्पसंख्यक शेयरधारिता की खरीदारी करने में समर्थ बनाने हेतु नियमों में संशोधन किया गया।
(थ) लघु कंपनियों तथा अन्य स्टार्ट-अप सहित स्टार्ट-अप कंपनियों के विलयनों एवं समामेलनों हेतु फास्ट ट्रैक की प्रक्रिया की शुरूआत करना।

(द) समय-सीमा उस अवधि तक कम करना जब तक राइट्स इश्यूज़ को खुला रखा जाना अपेक्षित हो।

(ध) लघु कंपनियों तथा एकल व्यक्ति कंपनियों (ओपीसी) के लिए वार्षिक रिटर्न का नया संक्षिप्त एवं लघु स्वरूप लागू किया गया है।

(न) पब्लिक कंपनी से निजी कंपनी में परिवर्तन की सुगम प्रक्रिया-अधिसूचना 25 जनवरी 2021 को जारी की गयी।

(प) संशोधन के द्वारा प्रकटन की गुणवत्ता को सुदृढ़ीकृत बनाने में वित्तीय विवरणों, कंपनी (लंबा) निमय, कंपनी (अंकेक्षण व अंकेक्षक) नियम तथा कंपनी (अंकेक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के प्रारूप को बनाया गया।

(फ) **<u>कोविड से संबंधित व्यवधानों के मद्देनज़र में कंपनी अधिनियम, 2013 तथा एलएलपी अधिनियम, 2008 के तहत छूट दी गई:-</u>**

- कंपनियों को कोई भी पिछली फाइलिंग संबंधी चूक को सुधारने, चूक की अवधि का ध्यानाकर्षण रहित, तथा पूर्णत: अनुपालित इकाई के रूप में फ्रेश स्टार्ट का अवसर प्रदान करने हेतु 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर, 2010 तक कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम, 2020 की शुरूआत की गई। एलएलपी को समान अवसर प्रदान करने के लिए एलएलपी निपटान स्कीम, 2020 को भी संशोधित किया गया।
- प्रभार के सृजन या परिवर्तन से संबंधित फॉर्म फाइलिंग में समयसीमा में छूट की स्कीम।
- कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2020 को वि.व. 2019-20 से पूर्व में प्रस्तावित करने के बजाय वि. व. 2021-22 से लागू किया गया है।
- कंपनियों को उन मामलों के संदर्भ में, जो पूर्व में निदेशकों की भौतिक उपस्थिति में बैठकों में पारित किए जाते थे, वीडियो कांफ्रेंस (वीसी) या अन्य श्रव्य-दृश्य उपकरण के जरिये संकल्प पारित करने के लिए बोर्ड की बैठकों को आयोजित करने की अनुमति दी गई।
- ऐसी अवधि में वृद्धि की गई जिसमें मौजूदा स्वतंत्र निदेशक अपना नाम स्वतंत्र निदेशकों के डाटाबैंक में सम्मिलित करवाने हेतु ओवदन कर सकते हैं।
- स्वंतत्र निदेशकों द्वारा कम से कम एक बैठक गैर-स्वंतत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना आयोजित करने के संबंध में वि.व. 2019-20 के लिए छूट दी गई।
- जमा पुनर्अदायगी रिजर्व और डिबेंचर विमोचन रिजर्व के सृजन/अनुरक्षण के संदर्भ में समय सीमा में छूट।
- व्यवसाय के आरंभ की घोषणा की फाइलिंग के लिए अतिरिक्त अवधि प्रदान की गई।
- 'निवासी निदेशक' के संबंध में वि.व. 2019-20 और वि.व. 2020-21 के लिए छूट।
- पोस्टल बैलट के माध्यम से आम बैठक/व्यवसाय करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग/ अन्य श्रव्य दृश्य माध्यम की अनुमति।
- डाक/कुरियर के माध्यम से बैठकों/राइट प्रस्तावों के संबंध में नोटिस भेजने से छूट।
- एनसीएलटी द्वारा धारा 252 के तहत दिसंबर, 2020 के माह के दौरान कंपनियों के रजिस्टर पर बहाल कंपनियों के लिए देरी की माफी के लिए योजना शुरू की गई। ऐसी कंपनियों को 01.02.2021 से 31.03.2021 के दौरान फाइल किए गए प्ररूपों के संबंध में अतिरिक्त शुल्क के भुगतान से छूट की अनुमति प्रदान की गई थी।
- दूसरी कोविड लहर को ध्यान में रखते हुए, कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ-साथ एलएलपी अधिनियम, 2008 के तहत बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने प्ररूप/रिटर्न फाइल करने के लिए 31 जुलाई, 2021 तक की अतिरिक्त समय-सीमा प्रदान की गई है।

****

अनुलग्नक- ख

पिछले छः वर्षों में शासकीय समापक (ओएल) वार तथा क्षेत्र-वार उन कंपनियों की संख्या जिनको कंपनी अधिनियम 1956/2013 के तहत बंद करने का आदेश पारित किया गया है।				
क्र.सं.	**ओएल का नाम**	**विनिर्माण**	**समुदाय व्यक्तिगत तथा सामाजिक सेवा**	**कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप**
1	**दिल्ली**	76	1	10
2	**चंड़ीगढ़**	11	1	0
3	**इलाहबाद**	5	6	0
4	**देहरादून**	0	0	0
5	**जम्मू**	0	0	0
6	**शिमला**	1	0	0
7	**चैन्नई**	50	30	0
8	**कोच्चि**	7	0	0
9	**हैदराबाद**	14	0	1
10	**बैंगलूरू**	16	22	0
11	**मुंबई**	121	30	0
12	**गोवा**	3	0	0
13	**नागपुर**	1	1	1
14	**कोलकाता**	33	7	6
15	**कटक**	3	0	0
16	**पटना**	1	0	0
17	**रांची**	3	0	0
18	**गुवाहाटी**	1	0	1
19	**इंदौर**	12	0	0
20	**जोधपुर**	3	0	0
21	**जयपुर**	11	0	0
22	**अहमदाबाद**	19	13	0
23	**बिलासपुर**	1	0	0
	कुल	**392**	**111**	**19**

अनुलग्नक- ग

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत पिछले छः वर्षों में उन कंपनियों की राज्य-वार और क्षेत्र-वार संख्या, जिनके संबंध में परिसमापन आदेश पारित किया गया है।

राज्य	कृषि, आखेट तथा वानिकी	विनिर्माण	अन्य समुदाय, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवा कार्यकलाप
आंध्र प्रदेश	0	10	0
असम	0	0	0
बिहार	0	0	0
चंडीगढ़	0	3	0
छत्तीसगढ़	1	5	0
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	2	0
दिल्ली	4	95	9
गोवा	0	5	0
गुजरात	5	100	2
हरियाणा	0	12	0
हिमाचल प्रदेश	1	1	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	0
झारखंड	0	4	0
कर्नाटक	4	26	1
केरल	1	5	0
मध्य प्रदेश	2	9	0
महाराष्ट्र	5	143	6
मेघालय	1	0	0
ओडिशा	0	6	0
पांडिचेरी	0	1	0
पंजाब	1	21	0
राजस्थान	1	10	0
तमिलनाडु	4	107	4
तेलंगाना	2	41	1
त्रिपुरा	0	0	0
उत्तर प्रदेश	2	26	0
उत्तराखंड	0	0	0
पश्चिम बंगाल	8	71	0
कुल	**42**	**703**	**23**